न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील/225/रा.का.अधि./12/2016/बाड़मेर

अपीलांट

1. हिन्दाल पुत्र सोना
2. इसलाम पुत्र सोना के कायम मुकाम
   2/1वादम पुत्र इसलाम
   2/2सुमार पुत्र इसलाम
   2/3जालम पुत्र इसलाम जाति
   मुसलमान निवासी बुठिया तहसील
   रामसर जिला बाड़मेर

रेस्पोडेंटगण

बनाम 1.तहसीलदार रामसर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर बमुंकदमा सं. 11/1986 अनवान तहसीलदार बाड़मेर बनाम अलीखां वगैरा में पारित आदेश दिनांक 25.03.1987 के विरूद्ध पेश हुई।।

उपस्थित

1. वकील श्री महेन्द्र कुमार रामावत अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री हाजी खां राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेण्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः— 20.08.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट संख्या 01, अपीलांट संख्या 02 के पूर्वज इसलाम व अली खां, समद, चनेसर धोधा, भूगरा, जमा की संयुक्त खातेदारी के खेत मौजा बुठिया तहसील बाड़मेर वर्तमान तहसील रामसर में खसरा संख्या 46, 163, 201, 203, 203/3, 203/5 कुल रकबा 30.06 बीघा भूमि खातेदारी की आई हुई थी जिसमें प्रत्येक अपीलांट का 1/21, 1/21 हिस्सा आता था। अपीलांटगण के सह खातेदार अली खां 1/3 हिस्सा व शोभा के लड़के समन्द, चनेसर, धोधा, भूगरा, मजना व अपीलांट का 1/2 हिस्सा व जमा का 1/3 हिस्सा खातेदारी में आता था। सह खातेदारी अली खां, समन्द खां, चनेसर, धोधा, भूगरा, मजना व जमा के अवैध रूप से अपनी भूमि परित्याग कर पाक जाने के कारण उनकी भूमि खालसा करने के लिए तहसीलदार बाड़मेर द्वारा राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 63(1)(8) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया था। अपीलांट को कोई पक्षकार नहीं बनाया गया न उनको सुना गया व उनकी भूमि

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

बिना सुनवाई के खालसा करने में कानून इंसाफन भूल की है। अपीलांटगण कभी भी अपनी उक्त भूमि का परित्याग नहीं किया न उनके विदेश जाने का आरोप लगा है, रेस्पोडेंट की तरफ से जो आवेदन प्रस्तुत किया गया है उसमें अपीलांट को विदेश जाना नहीं बताया गया है न उनको पक्षकार बनाया गया है अपीलांट लगातार भातर में रहते आ रहे है भारतीय नागरिक है मगर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना कोई रैकर्ड का अवलोकन किये सम्पूर्ण 80.06 बीघा भूमि खालसा करने में कानूनन व इंसाफन भूल की है। राजस्व रैकर्ड के अनुसार जिनको पाक जाना बताया गया है उसमें भी अपीलांट का नाम दर्ज नहीं है व न ही रेस्पोडेंट द्वारा अपने आवेदन में अपीलांट को पाक जाना बताया गया है। यह आदेश पूर्णतया अपीलांट के विरूद्ध प्रारम्भ से शून्य व अवैध रूप से होने से काबिल खारिज योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि सह खातेदारी अली खां, समन्द खां, चनेसर, धोधा, भूगरा, मजना व जमा के अवैध रूप से अपनी भूमि परित्याग कर पाक जाने के कारण उनकी भूमि खालसा करने के लिए तहसीलदार बाड़मेर द्वारा राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 63(1)(8) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया था। अपीलांट को कोई पक्षकार नहीं बनाया गया न उनको सुना गया व उनकी भूमि बिना सुनवाई के खालसा करने में कानून इंसाफन भूल की है। अपीलांटगण कभी भी अपनी उक्त भूमि का परित्याग नहीं किया न उनके विदेश जाने का आरोप लगा है, रेस्पोडेंट की तरफ से जो आवेदन प्रस्तुत किया गया है उसमें अपीलांट को विदेश जाना नहीं बताया गया है न उनको पक्षकार बनाया गया है अपीलांट लगातार भातर में रहते आ रहे है भारतीय नागरिक है मगर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना कोई रैकर्ड का अवलोकन किये सम्पूर्ण 80.06 बीघा भूमि खालसा करने में कानूनन व इंसाफन भूल की है। राजस्व रैकर्ड के अनुसार जिनको पाक जाना बताया गया है उसमें भी अपीलांट का नाम दर्ज नहीं है व न ही रेस्पोडेंट द्वारा अपने आवेदन में अपीलांट को पाक जाना बताया गया है। यह आदेश पूर्णतया अपीलांट के विरूद्ध प्रारम्भ से शून्य व अवैध है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

राजकीय अभिभाषक ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय विधि के अनुरूप पास किया गया है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं। वकील रेस्पोडेंट ने आगे बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय 25.03.1987 को

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

पारित किया गया जबकि अपीलांट द्वारा अपील दिनांक 23.02.2016 को पेश की गई। इस प्रकार अपीलांट द्वारा अपील तकरीबन 29 वर्ष बाद पेश की गई है। म्याद को माफ करने हेतु को ठोस संतोषप्रद कारण भी नहीं बताया गया है। अतः अपीलांट की अपील खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को बहाल रखा जावे।

सर्वप्रथम धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया अपीलाधीन निर्णय एकपक्षीय पारित किया गया है। अपीलांट /प्रार्थीगण की अनुपस्थिति में पारित किया गया था जिसकी जानकारी अपीलांट को नहीं थी। अपीलांट अनपढ व काश्तकार है जिनको कभी उक्त गलत आदेश की जानकारी नहीं हुई सर्वप्रथम ज्ञान अभी अपना हिस्सा की जमाबंदी पटवारी हल्का से मांगने पर दिनांक 17.01.2016 को हुई जिस पर उनके द्वारा आदेष की दिनांक 25.01.2016 को मांगी गई व यह नकल दिनांक 23.02.2016 को प्राप्त हुई। तथा वास्तविक ज्ञान की तारिख से अपील अन्दर मियाद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांट/वादी द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी सद्भाविक नहीं। जिसका कोई संतोषप्रद कारण नहीं बताया। जबकि अपील पेश करने में हुई देरी के एक–एक दिन की व्याख्या स्पष्ट करनी होती है। अतः लिमिटेशन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अपीलांट/प्रार्थीगण अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार संयोजित नहीं थे तथा अपीलांट/प्रार्थीगण की अनुपस्थिति में अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो एकपक्षीय आदेश की श्रेणी में आते है। हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अपीलांट हिंदाल और इसलाम (मृतक) का किसी भी रिपोर्ट में पाकिस्तान पलायन नहीं बताया गया है। पटवारी की दैनिक डायरी रिपोर्ट मे भी इनका उल्लेख अवैध रूप से पाकिस्तान चले जाना नहीं

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

दर्शाया गया है। पटवारी के अधीनस्थ न्यायालय में हुए बयानों में भी इसका अपनी कृषि भूमि का परित्याग कर अवैध रूप से बिना पासपोर्ट पाकिस्तान चले जाना कथित नहीं किया गया हैं जबकि इनके अन्य सगे भाईयों का जिक्र है। अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश में भी उक्त दोनो तत्समय अभिलिखित खातेदार रूप में अपीलांटस के नामों का उल्लेख नहीं है फिर भी इनके खातेदारी अधिकारों का भी राजस्व रिकॉर्ड में अवसान कर दिया गया जो किसी भूल के कारण हुआ है, जिसे ठीक किया जाना न्यायोचित है। वादग्रस्त भूमि में अपीलांट संख्या 1 का 1/21 हिस्सा तथा अपीलांट संख्या 2/1 से 2/3 का भी 1/21 हिस्सा निहित है। जिस पर उनके खातेदारी अधिकारों की घोषणा की जाती है।

अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाती है। एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर बमुंकदमा सं. 11/1986 अनवान तहसीलदार बाड़मेर बनाम अलीखां वगैरा में पारित आदेश दिनांक 25.03.1987 को अपास्त किया जाकर तहसीलदार रामसर को आदेशित किया जाता है कि मौजा कूठिया के खेत खसरा संख्या 46, 163, 201, 203, 203/3, 203/5 कुल रकबा 80.08 बीघा भूमि में अपीलांट्स का उपरोक्तानुसार अंकित हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर पालना पठावे।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 20.08.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner